न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 65ए/2020 G.C.M.S. No. 2020/00249 दर्ज दिनांक : 19.11.2020

अपीलार्थिगणः

मृत शंकर पुत्र मादा, जाति भील के का.मु.–

1. पकली पत्नि शंकर
2. मानाराम पुत्र शंकर
3. श्रवणराम पुत्र शंकर
4. बाबुराम पुत्र शंकर
5. उगमाराम पुत्र शंकर
6. श्यामाराम पुत्र शंकर, जातिगण भील, निवासीगण बाण्डाई, तहसील रोहट, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. उर्मिलादेवी पत्नि महेन्द्रसिंह
2. गीतादेवी पत्नि अशोक, जातिगण मेवाडा कलाल, निवासीगण रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट
4. श्री हरीसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस. वर्तमान पदस्थापन उपखंड अधिकारी व सहायक कलक्टर रोहट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट के राजस्व वाद संख्या 96/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2020 अनवान मृत शंकर के कायम मुकाम वगैरह बनाम उर्मिलादेवी वगैरह

पैरोकार–

1. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री दौलत मकवाणा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2
3. राजकीय पैरोकार, रेस्पोंडेंट संख्या 3 व 4

निर्णय

दिनांकः 13.11.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट के राजस्व वाद संख्या 96/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2020 बअनवान मृत शंकर के कायम मुकाम वगैरह बनाम उर्मिलादेवी वगैरह के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट शंकर की ओर से एक वाद धारा 88, 89, 91, 92–ए, 188 राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत् इस आशय का पेश किया था कि ग्राम बाण्डाई के खसरा नंबर 128 में से 5 बीघा भूमि का संवत् 2025 दिनांक 26.06.1968 को वादी शंकर को पड़ौस की भूमि का आवंटन हुआ था। उत्तर में खसरा नंबर 128 की भूमि जिसे वर्तमान में नक्शा ट्रेस में खसरा नंबर 128/1, 128/2 व 247/128

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

दर्शाया है। दक्षिण में पाली से जोधपुर जाने वाली सड़क, पूर्व में इसी खसरे की भूमि, जिसे वर्तमान राजस्व नक्शे में खसरा नं. 128/3 दर्शाया गया है। पश्चिम में खसरा नंबर 119 की भूमि स्थित है। उपरोक्त भूमि पर वक्त आवंटन से वादी शंकर काबिज रहा है। आवंटन सुदा भूमि का नक्शा लाल स्याही से अंकित करते हुए वाद के साथ पेश किया है, जो वाद का अंग है। अपीलाण्ट भूमिहीन व अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है। विधिनुसार काबिज काश्त होने से गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये गये। रेस्पोंडेण्ट संख्या एक व दो के परिजन बड़े सामन्ती एवं भू–तस्कर होने से राजस्व अधिकारियों से मिलावट कर वादी अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 128/6 को राजस्व नक्शा ट्रेस में पीछे की तरफ दर्शा दिया, जबकि उपरोक्त भूमि मुख्य सड़क एवं खसरा नंबर 128/1 व 128/2 के बीच में आवंटन के समय से मौके पर स्थित रही है और उस पर अपीलाण्ट काबिज रहे हैं। उपरोक्त स्थिति की जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय में उपरोक्त वाद पेश किया गया था। रेस्पोंडेण्ट की ओर से जवाबदावा पेश किया गया, तनकीयात कायम की गई, दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य पेश की गई। इस दौरान पाली जोधपुर सड़क को फोरलेन किया गया, जिसमें सड़क के दोनों तरफ की भूमि अवाप्त की गई। उपरोक्त अवाप्ति कार्यवाही में सड़क से चिपती भूमि अपीलाण्ट्स की खसरा नंबर 128/6 होने से भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी करते हुए खसरा नंबर 128/6 की 0.29700 भूमि अवाप्त की गई और उसका मुआवजा प्रकरण संख्या 4/2014 के रूप में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही अपीलाण्ट्स को दिया गया, जिसके दस्तावेज अपीलाण्ट्स की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये। उक्त अवाप्त की गई भूमि अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 128/6 में से लिये जाने से 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि के नये खसरा नंबर 128/15 गैर मुमकीन सडक के रूप में केन्द्रीय भूतल सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम से दर्ज किया गया और अपीलाण्ट के नाम खसरा नंबर 128/6 की शेष 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि खातेदारी की म्यूटेशन संख्या 1095 द्वारा दर्ज की गई। दौराने वाद अपीलाण्ट द्वारा उपरोक्त संबंध में राजस्व रेकर्ड व मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु आवेदन पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, जिस सम्बन्ध में रेस्पोंडेण्ट की ओर से आपत्ति पेश की गई कि उपरोक्त रिपोर्ट बिना आदेश के मंगवाई गई। चूंकि इस संबंध में आदेशिका में आदेश लिखना भूल से न्यायालय द्वारा रह गया था, मौखिक आदेश सुना दिया गया था, जिसकी पालना में तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहरीर भी तहसीलदार रोहट को प्रेषित कर दी गई थीं, जिसकी प्रति पत्रावली पर संलग्न है। पत्रावली उपरोक्त आवेदन के सम्बन्ध में लम्बित चली आ रही थीं, इस दौरान वर्तमान पीठासीन अधिकारी हरीसिंह लम्बोरा की मृत्यु हुई, जिनके रेस्पोंडेण्ट संख्या दो के पति अशोकजी से घनिष्ठ सम्बन्ध रहे हैं, इसलिए जिनसे

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

मिलावट कर बिना अपीलाण्ट्स को नोटिस व नकल दिये एकतरफा कमिश्नर नियुक्त किया गया तथा उपरोक्त आवेदन और आदेशिका की नकलें भी अपीलाण्ट्स को नहीं दी जा रही थीं। रेस्पोंडेण्ट संख्या दो के पति अशोकजी राजनीति में बहुत ऊँची पहुंच रखते हैं तथा कांग्रेस के दिग्गज नेता है। इसलिए उपरोक्त प्रकरण को अन्यत्र अन्तरण करवाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अंतरण आवेदन संख्या 2623/2020 पेश किया था, जिसे माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा खारिज कर दिया गया। उपरोक्त अन्तरण आवेदन खारिज होते ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आनन–फानन में उपरोक्त प्रकरण वाद को निर्णित कर दिया, न तो अपीलाण्ट्स की बहस सुनी गई, न ही अपीलाण्ट्स को बहस करने का मौका दिया गया। अपीलाण्ट्स ने न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया था कि अपीलाण्ट्स को बहस के लिए एक मौका दिया जावें, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना बहस सुने ही न्यायालय में सीधे ही वाद को खारिज करने का निर्णय पारित कर दिया। साथ ही बिना अपीलाण्ट्स को नकले दिये, बिना किसी प्रकार की सूचना दिये भूमिधारी के माध्यम से बिन्दूवार रिपोर्ट बिना किसी आधार के मंगवाई गई, जो अधीनस्थ न्यायालय में भूमिधारी द्वारा पेश की गई, जिस अनुसार खसरा नंबर 128/6 की लड्डा ट्रेस में तरमीम की गई नहीं पाई गई। उपरोक्त खसरा नंबर 128/6 में से 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश अनुसार ही अवाप्त की गई, जिसका मुआवजा भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को अदा किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी रेस्पोंडेण्ट के साथ मिलावट कर पटवारी हल्का, भूमिधारी इत्यादि के माध्यम से अपीलाण्ट को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 128/6 जो मुख्य सडक से चिपती हुई स्थित है, से बेदखल करने हेतु धमकाया गया, तब अपीलाण्ट ने सीमांकन हेतु और बेदखल नहीं करने हेतु भूमिधारी को आवेदन पेश किया, जिसके आधार पर राजस्व रेकर्ड व मौके की रिपोर्ट मय फर्द मौका बनाया गया, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलाण्ट ने प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की थी, जिसे जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय ने रेकर्ड पर नहीं लिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट्स के वाद को खारिज करने की नियत से बिना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किये ही केवल रेस्पोंडेण्ट के पक्ष में वाद निर्णित करने के उद्देश्य से मात्र से तुच्छ आधारों पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए अपीलाण्ट्स का वाद खारिज कर दिया। उपरोक्त मौका रिपोर्ट व फर्द मौका दिनांक 13.07.2020 अनुसार मुख्य सड़क से चिपती अपीलाण्ट्स की ही खसरा नंबर 128/6 खातेदारी भूमि स्थित है, जिस पर अपीलाण्ट्स काबिज है। नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं हैं, लेकिन मौके पर काबिज होना प्रमाणित माना गया, मौके पर फसल बोई होना साबित पाया गया। सीमांकन एवं मौका निरीक्षण अनुसार मुख्य सड़क पाली से जोधपुर एवं खसरा नंबर 128/1, 128/2 के मध्य खसरा नंबर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

128/6 की भूमि होना और उस पर अपीलाण्ट का कब्जा होना प्रमाणित माना गया। इसके साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में तत्पश्चात् विवेचन में तुच्छ तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह उल्लेख किया है कि वादी शंकर की मृत्यु होने पर संशोधित शीर्षक में वादी के वारिसान की जाति भाट अंकित की हैं, जबकि वादीगण की जाति भील है, उपरोक्त त्रुटि सद्भाविक और टाईप त्रुटि है, जिसे बिना सुधारे भी वाद की प्रकृति पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह फाईडिंग कि वादी मानाराम ने अपने बयानों में पांच भाई व दो बहने होना कथन किया है, जबकि पांच पुत्रों को ही विधिक वारिसान बताया है और दो बहनों को उत्तराधिकारी होने के तथ्य न्यायालय से छुपाया है। ऐसा लगता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रिज्युडिस होकर उपरोक्त तथ्य अंकित किये हैं, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय को केवल अपीलाण्ट द्वारा अंतरण याचिका पेश की थीं, जिसे अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने नाराज होकर उपरोक्त आक्षेप लगाये हैं। यहां यह भी उल्लेख करना उचित रहेगा कि अनुसूचित जनजाति के मामले में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है और उसके कोई प्रावधान लागू नहीं होता है। पुत्रियों का कोई हक अनुसूचित जनजाति में नहीं रहता है। वादी मृतक शंकर की मृत्यु के बाद स्वीकृत फौतेदगी म्यूटेशन और जमाबंदी अनुसार केवल मृतक शंकर की पत्नी और पुत्रों के नाम ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज है और खसरा नंबर 128/6 के खातेदार अपीलाण्ट ही हैं, पुत्रियां नहीं है, ऐसी स्थिति में पुत्रियों को पक्षकार बनाये जाने की कतई आवश्यकता नहीं रहती हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय के अंत में यह फाईडिंग दी है कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए हर्जा–खर्चा के 50 हजार रूपये लगाये जाते हैं। उक्त हर्जा–खर्चा किस आधार पर लगाया गया है, कहीं भी स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा उपरोक्त हर्जा–खर्चा की कोई मांग रेस्पोंडेण्ट द्वारा नहीं की गई हैं। इसके अलावा भी इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार किसी भी विधि के तहत् प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने विधि के तहत् प्राप्त अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए उक्त हर्जा–खर्चा आरोपित किया गया है, जो पूर्णरूपेण अवैध है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत जाकर उक्त निर्णय पारित किया गया है। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र दिनांक 06.03.2002 को प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2020 द्वारा खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं।
2. पत्रावली एवं वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवाद का मुख्य विषय यह है कि वादी अपीलांट जोकि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को ग्राम बाण्डाई तहसील रोहट के खसरा संख्या 128 में से 5 बीघा भूमि दिनांक 26.06.1968 को आवंटित की गई। जो नामांतरण दिनांक 09.04.1975 द्वारा अपीलांट वादी के नाम बतौर गैर खातेदारी दर्ज की गई। जिसके खसरा नंबर 128/06 दर्ज किया गया। खसरा संख्या 128 राजकीय सिवायचक भूमि था तथा उक्त खसरे से लगते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्रयोजनार्थ भूमि आवाप्ति की कार्यवाही की गई। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा खसरा संख्या 128/06 में से 01–17 बीघा भूमि राजमार्ग प्रयोजनार्थ भूमि अवाप्त कर वादी अपीलांट को प्रतिकर का भुगतान किया गया। जो नामांतरण संख्या 10/95 दिनांक 24.07.2017 द्वारा खसरा संख्या 128/15 राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम दर्ज किया गया। प्रकरण में पटवारी भू.अ.नि. की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 13.07.2020 के अनुसार राजमार्ग से लगती हुई भूमि पर वादी अपीलांट का कब्जाकाश्त है तथा खसरा संख्या 128 में अन्यत्र किसी भी स्थान पर वादी का कब्जा नहीं हैं। मूल राजस्व नक्शा में खसरा संख्या 128 के आवंटियों की तरमीम नहीं थीं। लेकिन जब राजस्व विभाग द्वारा पश्चातवर्ती समय में तरमीम कार्यवाही की गई तो राष्ट्रीय राजमार्ग के समानांतर खसरा संख्या 128 की एक पट्टी छोड़ी गई, जिसके खसरा नंबर आवंटित नहीं किए गए तथा इसके पश्चात खसरा संख्या 128/1, 128/2 व 264/128 की तरमीम की गई एवं लगभग 700 मीटर दूर खसरा संख्या 128/6 की तरमीम की गई। रेस्पोंडेंट खसरा संख्या 128/1 व 128/2 के खातेदार है। प्रकरण में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक कायम कर साक्ष्य एवं तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई।
3. हमारे विनम्र मत में आवंटित भूमि का नामांतरण व तरमीम की कार्यवाही किया जाना संबंधित राजस्व कार्मिकों का कर्तव्य होता है। हस्तगत प्रकरण में लंबे समय तक राजस्वकर्मियों द्वारा उक्त कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने के कारण काश्तकारों को अनावश्यक विवाद का सामना करना पड़ा। तरमीम की कार्यवाही राजस्थान भू–राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

(भू–अभिलेख) नियम 1957 में विहित विधिक प्रावधानों के अनुसरण में किया जाना अपेक्षित होता है। आवंटन के प्रकरण में आवंटन आदेश व कब्जा सुपुदर्गी के अनुरूप भू–नक्शा में तरमीम अपेक्षित होती हैं तथा अन्य कोई दस्तावेजात व आधार उपलब्ध नहीं होने की दशा में एक ही खसरा की भूमि के अंतर्गत कब्जाकाश्त को ध्यान में रखा जाना अपेक्षित होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 128 के आवंटियों की वक्त आवंटन व नामांतरण कार्यवाही के साथ नक्शा में तरमीम की कार्यवाही नहीं की गई तथा मौके पर आवंटी कब्जेकाश्त रहें। मौके पर कब्जेकाश्त के आधार पर आवंटियों को गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान की गई, जिसमें वादी भी शामिल है। वादी को भूमि अवाप्ति कार्यवाही के दौरान खसरा संख्या 128/6 में से 01–17 बिस्वा भूमि राजमार्ग प्रयोजनार्थ अवाप्त कर प्रतिकर का भुगतान किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि खसरा संख्या 128/6 की शेष भूमि राजमार्ग से लगती हुई ही स्थित है। लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में उक्त समस्त तथ्यों एवं स्थितियों को नजरअंदाज करते हुए न केवल वादपत्र खारिज किया गया बल्कि बिना किसी आधार व बिना किसी साक्ष्य के मनमाफिक व उल–जुलूल विनिश्चय के साथ वादी द्वारा अपनी पुत्रियों की सूचना न्यायालय से छुपाना, स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होना, मुआवजा उठा लेना एवं तहसीलदार को सभी पक्षों को सुनकर आपराधिक कार्यवाही करने व एल.आर. एक्ट के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही करने के आदेश देने तथा वादी पर 50000/– की कॉस्ट आरोपित किये जाने का आदेश पारित किया गया। इससे स्पष्ट है कि प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण का न तो विधिसम्मत न्यायिक–निर्णयन किया गया बल्कि मनमाफिक कार्यवाही करते हुए व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा लिए गए उज्र को बिना किसी कारण हूबहू स्वीकार किया गया तथा भूमिधारी तहसीलदार प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रकरण में अलग–अलग समय में प्राप्त व पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट आदि को नजरअंदाज करते हुए गैर–न्यायिक विवेचन व गैर–न्यायिक निर्णयन के रूप में मनमाफिक निर्णय पारित किया गया, जो किसी भी दृष्टि से स्वीकार व पुष्टियोग्य नहीं हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में से भूमि क्रय की गई हैं, अर्थात प्रतिवादीगण मूल खातेदार नहीं हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि प्रकरण में संबंधित तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की वर्तमान मौका स्थिति रिपोर्ट एवं प्रथम भू–प्रबंध से वर्तमान तक ग्राम बाण्डाई के मूल खसरा संख्या 128 के भू–अभिलेख एवं इनमें समय–समय पर हुए आवंटन, नियमन, गैर–खातेदारी–खातेदारी, नामांतरण, तरमीम, बेचान एवं भूमि अवाप्ति तथा अन्य किसी भी विधि से हुए अंतरण के आधार पर जमाबंदी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

व राजस्व नक्शा में किए गए परिवर्तन/इन्द्राजात की विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त की जाकर वादी को आवंटित भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जोकि क्रेता है, के पूर्ववर्ती गैर–खातेदारान/खातेदारान द्वारा प्राप्त/धारित रकबा, कब्जाकाश्त आदि के संबंध में विस्तृत जांच करते हुए प्रकरण का न्यायिक रूप से अंतिम निर्णयन किया जा सकता है। जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुपालन नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना, पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट के राजस्व वाद संख्या 96/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2020 अनवान मृत शंकर के कायम मुकाम वगैरह बनाम उर्मिलादेवी वगैरह को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में संबंधित तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की वर्तमान मौका स्थिति रिपोर्ट एवं प्रथम भू–प्रबंध से वर्तमान तक ग्राम बाण्डाई के मूल खसरा संख्या 128 के भू–अभिलेख एवं इनमें समय–समय पर हुए आवंटन, नियमन, गैर–खातेदारी–खातेदारी, नामांतरण, तरमीम, बेचान एवं भूमि अवाप्ति तथा अन्य किसी भी विधि से हुए अंतरण के आधार पर जमाबंदी व राजस्व नक्शा में किए गए परिवर्तन/इन्द्राजात, वादी को आवंटित भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जोकि क्रेता है, के पूर्ववर्ती गैर–खातेदारान/खातेदारान द्वारा प्राप्त/धारित रकबा, कब्जाकाश्त आदि के संबंध में विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त की जाकर उभयपक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर न्यायिक रूप से अंतिम निर्णयन करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 15.12.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **13.11.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner